(53)

संचिका संख्या– 18/ई.गो.–04–07/2011

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषयः– सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी की शासी परिषद् के पुनर्गठन के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक तंत्र के मजबूती के लिए सतत् परामर्श, बौद्धिक विकास, प्रशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था तथा नागरिक केन्द्रित प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 12670 दिनांक 22.11.2011 द्वारा सुशासन केन्द्र एवं सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी का गठन किया गया है ।

2. सुशासन केन्द्र के कार्यकलाप का राज्य सरकार की शासन व्यवस्था से गहरा संबंध होगा तथा राज्य सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक तंत्र के आधुनिकीरण, उन्नयन, नई तकनीक के उपयोग, सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण इत्यादि विषयों पर इस केन्द्र को कार्य करना होगा । इस प्रसंग में समुचित मार्गदर्शन एवं निर्देश हेतु सोसाइटी में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वांछनीय है । ज्ञातव्य हो कि समरूप व्यवस्था सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी हैदराबाद में भी है जहॉ शासी परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं । राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन संबंधित विषयों पर भी सुशासन केन्द्र अध्ययन कर उसकी बेहतरी के लिए अनुशंसाएं कर सकेगा । इस दृष्टिकोण से वित्त मंत्री को भी सदस्य नामित करना अधिक व्यवहारिक होगा । चुँकि सोसाइटी का अधिकांश कार्य ई–गवर्नेंस से संबंधित है, अतः प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग को भी सदस्य बनाया जाना आवश्यक है ।

(52)

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोंपरांत राज्य सरकार ने सुशासन केन्द्र सोसाइटी के शासी परिषद् को निम्नरूपेण पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है:–

मुख्यमंत्री	–	अध्यक्ष
वित्तमंत्री	–	उपाध्यक्ष
मुख्य सचिव	–	सदस्य
विकास आयुक्त	–	सदस्य
महानिदेशक, बिपार्ड	–	सदस्य
प्रधान सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–	सदस्य
प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग	–	सदस्य
ख्यातिप्राप्त एकेडमीक इंस्टीच्यूट के अध्यक्ष यथा भारतीय प्रबंधन संस्थान अथवा पटना स्थित विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान	–	सदस्य (सरकार द्वारा मनोनीत)
महानिदेशक, CGG	–	सदस्य सचिव

4. उपर्युक्त हद् तक संकल्प संख्या 12670 दिनांक 22.11.2011 की कंडिका–4 संशोधित समझा जाय । तद्नुसार सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के Memorandum of association एवं Bye-Laws की संगत प्रावधान में संशोधन कर दिया गया है (प्रति संलग्न)।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

3.8.2012

(अजय कुमार चौधरी),

सरकार के संयुक्त सचिव ।

(51)

ज्ञापांक– 18/ई॰गो॰–04–07/2011.1116.2. / पटना, दिनांक–8/8/12

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/माननीय उपमुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/महानिदेशक, विपार्ड/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.8.2012

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– 18/ई॰गो॰–04–07/2011.1116.2. / पटना, दिनांक–8/8/12

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.8.2012

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– 18/ई॰गो॰–04–07/2011.1116.2. / पटना, दिनांक–8/8/2

प्रतिलिपि– राजकीय अधीक्षक मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी॰डी॰ के साथ बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

8.8.2012

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– 18/ई॰गो॰–04–07/2011.1116.2. / पटना, दिनांक–8/8/12

प्रतिलिपि– मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग को दिनांक 07.08.2012 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही की मद संख्या–21 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

8.8.2012

सरकार के संयुक्त सचिव ।